

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 374/2022

दायर दिनांक 01.09.2022

वादी

प्रतिवादीगण

1. मोतीराम पुत्र मालचन्द फौत
- 1/1 आचुकी देवी पत्नी मोतीराम
- 1/2 राकेश सैनी पुत्र मोतीराम
- 1/3 विकास सैनी पुत्र मोतीराम
समस्त जाति माली निवासी
डीडवाना, तहसील डीडवाना
जिला नागौर राज।

1. लिखमाराम पुत्र मोहनलाल
2. रामधन पुत्र मालचन्द
3. रामनिवास पुत्र मालचन्द
4. चम्पादेवी पत्नी मालचन्द
5. गट्टू देवी पुत्री मालचन्द
6. अमरीदेवी पुत्री मालचन्द
7. गितादेवी पत्नी मुन्नालाल फौत
8. नीजू पुत्री मुन्नालाल
9. भंवरीदेवी पुत्री मुन्नालाल
10. बंसती पुत्री मुन्नालाल
11. मंजु पुत्री मुन्नालाल
12. साऊ पुत्री मुन्नालाल
13. रामदेवी पत्नी गोपाल
14. मनोज कुमान पुत्र गोपाल
15. सुनिल पुत्र गोपाल
16. राजेश पुत्र गोपाल
17. किशनीदेवी पत्नी सोहनलाल
18. मांगीलाल पुत्र सोहनलाल
19. इन्द्रचन्द पुत्र सोहनलाल
20. निर्मलकुमार पुत्र सोहनलाल
21. गिता पुत्री सोहनलाल
22. पुष्पादेवी पुत्री सोहनलाल समस्त जाति माली
निवासीगण छापरी गेट पकाल्या का बास, डीडवाना
जिला नागौर।
23. मोहम्मद ईलियास पुत्र रज्जाक जाति व्यापारी
निवासी डीडवाना।
24. प्रेमलता पत्नी कमलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी
डीडवाना
25. मोहम्मद अहसान पुत्र मोहम्मद इस्माईल जाति
देशवाली निवासी गरदेज्याबासनी
26. शीतलदेवी पत्नी किशनपालसिंह जाति राजपुत
निवासी राजपुत कॉलोनी डीडवाना
27. घासीराम पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी रेल्वे
स्टेशन डीडवाना
28. फातमा पत्नी खलील निवासी अमरपुरा
29. मैना बानो पत्नी खलील
30. मोहम्मद आमिर तंवर पुत्र खलील
31. शबनम बानो पुत्री खलील
32. शाहरूख तंवर पुत्र खलील
33. सलमान खान पुत्र खलील
34. सोनम पुत्री खलील नावातिक जरिये संरक्षक माता
मैना बानो पत्नी खलील जाति सिलावट निवासी
डीडवाना जिला नागौर राज.
35. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्



W/As

विकास मोहन भाटी
पीठासीन अधिकारी



दावा बाबत
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री भैरूसिंह वकील वादी।
2. श्री नरेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादीगण।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 28.10.2024


वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है वाकै सरहद ग्राम अमरपुरा में खेत खसरा सं० 59 रकबा 10.120 हैक्टे०, खसरा सं० 63 रकबा 0.9100 हैक्टे०, खसरा सं० 693/60 रकबा 0.8960 हैक्टे०, खसरा सं० 66 रकबा 0.7300 हैक्टे, खसरा सं० 694/60 रकबा 0.0450 हैक्टे, खसरा सं० 77 रकबा 0.3600 हैक्टे०, खसरा सं० 86 रकबा 2.5900 हैक्टे, खसरा सं० 88 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 696/62 रकबा 1.3450 हैक्टे० खसरा सं० 697/62 रकबा 0.2500 हैक्टे की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 34 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 09.12.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 437 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 437 दिनांक 23.08.2024 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-


--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद अमरपुरा में खेत खसरा सं० 59 रकबा 10.120 हैक्टे०, खसरा सं० 63 रकबा 0.9100 हैक्टे०, खसरा सं० 693/60 रकबा 0.8960 हैक्टे०, खसरा सं० 66 रकबा 0.7300 हैक्टे, खसरा सं० 694/60 रकबा 0.0450 हैक्टे, खसरा सं० 77 रकबा 0.3600 हैक्टे०, खसरा सं० 86 रकबा 2.5900 हैक्टे, खसरा सं० 88 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 696/62 रकबा 1.3450 हैक्टे०, खसरा सं० 697/62 रकबा 0.2500 हैक्टे भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 437 दिनांक 23.08.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 437 दिनांक 23.08.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी